

GST Update on relaxation for taxpayers for GSTR-9 & 9C

GST Council की meeting में डिसाइड हुआ था कि GST Reconciliation statement 5 crore तक के Turnover वाले Tax payer को फाइल नहीं करना है। Press Release में इसके साथ में एक Condition भी लगी हुई थी कि यह MSME सेक्टर के लिए लागू होगा। इस पर Update भी बनाया था तथा यह कहा था कि इस पर कोई clarity नहीं है कि यह trading units पर भी लागू होगा या नहीं। परंतु Section 80(3) में एक proviso Notification No. 16/2020 Central tax dated 23.03.2020 से डालकर यह कहा गया है कि वह टैक्स पर जिनका turnover 5 करोड़ से ऊपर है उनको ही Audit व reconciliation statement फाइल करना है। इसमें MSME सेक्टर का कोई जिक्र नहीं है। अतः यह clear हो गया है कि यह सब पर लागू होगा. पर ऐसी units को GSTR-9 फाइल करना होगा। जबकि 2 crore के assessee के लिए यह option था कि वह GSTR-9 फाइल करें अथवा नहीं. 2 crore से लेकर 5 crore के turnover के लिए GSTR-9 फाइल करना आवश्यक है।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on <https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/> as well as follow us on twitter at <https://www.twitter.com/@capradeepjain21>.